



राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

क्रमांक :- लेखा एवं वित्त-III/मेडिकल/2023-24/1916

दिनांक :-

कार्यालय आदेश

कुलपति महोदय से प्राप्त अनुमोदन दिनांक 13.04.2023 की पालना में कार्यालय आदेश संख्या A&F-III/Medical/2022/1500 दिनांक 09.06.2022 में शामिल AMA's/Specialists/Dentists/Vaidyas/Homeopaths/Diagnostic Centres/Nursing Homes/ Hospitals etc. को विश्वविद्यालय से मान्यता अवधि को दिनांक 30.06.2023 तक अथवा नवीन सूची जारी होने तक जो भी पहले हो बढ़ाई जाती है।

(Handwritten Signature)

(राम सुख जाटोलिया)

वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार

क्रमांक :- लेखा एवं वित्त-III/मेडिकल/2023-24/1917-50

दिनांक :- 06/05/23

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को अग्रप्रेषित है :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष, निदेशक/प्रभारी अधिकारी/समिति सदस्य, समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक इकाईयों, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. समस्त प्राचार्य, महाराजा/महारानी/राजस्थान/कॉमर्स/विधि महाविद्यालय (प्रातः एव सांय), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. मुख्य कुलानुशासक/मुख्य आवासाधिकारी/आवासाधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. समस्त चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. जन सम्पर्क अधिकारी राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर पत्र प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड तुरन्त प्रभाव से करावें।
8. निजी सचिव, कुलपति/कुलसचिव/वित्त नियंत्रक व वित्तीय सलाहकार/परीक्षा नियंत्रक/समस्त उप कुलसचिव/ सहायक कुलसचिव/अनुभागाधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. सामान्य प्रशासन अनुभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

(Handwritten Signature)

(राजकुमार जैन)

उप कुलसचिव (लेखा एवं वित्त)